आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Home Department (Police), Government of Uttarakhand

Uttarakhand Rajya ke Swatantrata Sangram Senani ke Pratham Peedhi ke Jeevit Vidhik Uttaradhikariyon ki Samman Pension (Freedom Fighter First-Generation Heirs Samman Pension, Uttarakhand)

उत्तराखंड दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीवित प्रथम पीढ़ी के विधिक उत्तराधिकारियों को सम्मिलित रूप से सम्मान पेंशन देता है।

क्या मिल सकता है

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीवित प्रथम पीढ़ी के विधिक उत्तराधिकारियों को मासिक सम्मान पेंशन मिलती है, जो उनमें सम्मिलित रूप से बंटती है। यह तभी शुरू होती है जब सेनानी की विधवा या विधुर का निधन हो जाए, और पहले जिलाधिकारी हर मामले की जांच करते हैं।

किसके लिए है

उत्तराखंड के दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीवित प्रथम पीढ़ी के विधिक उत्तराधिकारी, जिनमें विवाहित या अविवाहित पुत्र-पुत्री और प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारी की विधवा शामिल हैं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जीवित प्रथम पीढ़ी का विधिक उत्तराधिकारी हो और उत्तराखंड में रहता हो
- पेंशन सेनानी की विधवा पत्नी या विधुर पति के जीवनकाल के बाद ही शुरू होती है
- पुत्र और पुत्री विवाहित हों या अविवाहित, दोनों पात्र हैं

दस्तावेज़

- आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेज, जो जिलाधिकारी कार्यालय बताता है

आवेदन कैसे करें

1. अपने जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन का फॉर्म लें।
2. जरूरी कागज लगाकर आवेदन जिलाधिकारी को दें।
3. जिलाधिकारी की जांच के बाद पेंशन स्वीकृत होती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf#page=63
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-freedom-fighter-samman-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।